राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय–व्ययक अनुभाग)

प.4(85)वित्त–1(1)आय.व्य / 2017 जयपुर, दिनांक : 14/8/2018

स्वीकृति संख्या: 260 / 2018–19

कोषाधिकारी,
उदयपुर।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2018–19 में आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के पी.डी.खाते में राशि रुपये 2502.31 लाख हस्तांतरण बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ 6 / लेखा / सीटीएडी / SCA / प्रस्ताव / 2018–19 स्वीकृति संख्या 07 / 2018–19 दिनांक 06.08.2018 राशि रुपये 300.00 लाख, स्वीकृति संख्या 08 / 2018–19 दिनांक 06.08.2018 राशि रुपये 600.00 लाख, स्वीकृति संख्या 09 / 2018–19 दिनांक 06.08.2018 राशि रुपये 400.00 लाख, स्वीकृति संख्या 10 / 2018–19 दिनांक 06.08.2018 राशि रुपये 998.31 लाख एवं स्वीकृति संख्या 11 / 2018–19 दिनांक 06.08.2018 राशि रुपये 204.00 लाख में अंकित शर्तो के अनुसार आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के पी.डी.खाते में कुल राशि रुपये 2502.31 लाख (अक्षरे रुपये पच्चीस करोड दो लाख इकत्तीस हजार) मात्र निम्न बजट मद में व्यय दर्शाते हुए हस्तांतरित कर दी जावे।

मांग संख्या –30

4225 –	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गो तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	
02 –	अनुसूचित जन जातियों का कल्याण	
796 –	जनजातिय क्षेत्र उपयोजना	
(09) –	उपयोजना क्षेत्र में सिंचाई सुविधा हेतु विभिन्न निर्माण कार्य (वि.के.स.)	
[03] –	जलोत्थान सिंचाई योजनाओ का निर्माण एवं बन्द पडी जलोत्थान सिंचाई येाजनाओं का पुनरूत्थान	
17 –	वृहद निर्माण कार्य (के.सहा.)	300.00
[01] –	जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण	
17 –	वृहद निर्माण कार्य (के.सहा.)	600.00
[02] –	नहरों का सुदृढ़ीकरण	
17 –	वृहद निर्माण कार्य (के.सहा.)	400.00
(24) –	जनजाति उपयोजना क्षेत्र के विकास हेतु पूंजीगत निर्माण कार्य (विकेस)	
[01] –	जनजाति बस्तियों को सेवा केन्द्रों से जोड़ना	
17 –	वृहद निर्माण कार्य (के.सहा.)	998.31
[02] –	टीएडी भवनों का निर्माण, विस्तार एवं नवीनीकरण	
17 –	वृहद निर्माण कार्य (के.सहा.)	204.00
	योग	2502.31

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के व्यय के लिये राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 तथा तत्संबंधी नियमों / निर्धारित मापदण्डों, योजना के दिशा–निर्देशो की पालना करते हुए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार ही किया जावेगा। किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नही किया जावेगा।

भवदीय,

(जसवंत सिंह)
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)

कमरा नं. 5137, वित्त (आय–व्ययक) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर–302005
दूरभाष नं. 0141–5153222 आई.पी. नं.–24452, फैक्स नं. 0141–2227799
website : www.finance.rajasthan.gov.in, e-mail : fdbudget@rajasthan.gov.in

प्रतिलिपि :–

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक/लेखापरीक्षा–प्रथम), राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–II) विभाग।
4. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग जयपुर।
5. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
6. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)

कमरा नं. 5137, वित्त (आय–व्ययक) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर–302005
दूरभाष नं. 0141–5153222 आई.पी. नं.–24452, फैक्स नं. 0141–2227799
website : www.finance.rajasthan.gov.in, e-mail : fdbudget@rajasthan.gov.in

प्रतिलिपि :–

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक/लेखापरीक्षा–प्रथम), राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–II) विभाग।
4. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग जयपुर।
5. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
6. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)

कमरा नं. 5137, वित्त (आय–व्ययक) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर–302005
दूरभाष नं. 0141–5153222 आई.पी. नं.–24452, फैक्स नं. 0141–2227799
website : www.finance.rajasthan.gov.in, e-mail : fdbudget@rajasthan.gov.in